Haryana Government Gazette
EXTRAORDINARY
Published by Authority
© Govt. of Haryana
No. 14-2018/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, JANUARY 25, 2018 (MAGHA 5, 1939 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 25 जनवरी, 2018

संख्या 28/एसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017, (2017 का 19), की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, यह समाधान होने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, उन मालो के अंतःराज्यीय प्रदायों, जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में विनिर्दिष्ट है और जो सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अंतर्गत आते हैं जो खाना (2) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए हैं, पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 35/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 की अनुसूची IV में यथा विनिर्दिष्ट उतने राज्य कर से छूट प्रदान करते हैं, जितना कि वह, ऐसे वस्तुओं के प्रदायों पर प्रदायकर्ता के लाभ पर उक्त सारणी के खाना (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट दर पर संगणित राशि से अधिक होता है।

सारणी

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लम्बाई वाले पुराने और प्रयुक्त मोटर वाहन जो पेट्रोल, द्रवित पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस (सीनएजी) द्वारा संचालित हों। व्याख्या.– इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों की विशिष्टता मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।	9%

क्रम संख्या	अध्याय, शीर्ष, उप शीर्ष या टैरिफ मद	माल का विवरण	दर
(1)	(2)	(3)	(4)
2.	8703	1500 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता और 4000 मिमी या उससे अधिक की लम्बाई वाले पुराने और प्रयुक्त मोटर वाहन जो डीज़ल द्वारा संचालित हों। व्याख्या.– इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, मोटरवाहनों की विशिष्टता मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार निर्धारित की जाएगी।	9%
3.	8703	पुराने और प्रयुक्त मोटर वाहन जिनके इंजन की क्षमता 1500 सीसी से अधिक हो, जिन्हें सामान्य तौर पर स्पोर्ट यूटिलीटी व्हीकल (एसयूवी) के रुप में जाना जाता हो, जिनमें यूटिलीटी व्हीकलस भी आते हों। व्याख्याः– इस प्रविष्टि के प्रयोजनों के लिए, एसयूवी में वे मोटर वाहन भी आते हैं जिनकी लंबाई 4000 मिलीमीटर से अधिक हो और जिनका ग्रांउड क्लीयरेंस 170 मिलीमीटर और इससे अधिक हो।	9%
4.	87	सभी पुराने और प्रयुक्त वाहन, क्रम संख्या 1 से क्रम संख्या 3 में उल्लिखत वाहनों से भिन्न	6%

व्याख्या.– इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, –

(i) ऐसे पंजीकृत व्यक्ति के मामलों में जिसमें उक्त वस्तु पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 32 के अंतर्गत मूल्यह्रास का दावा किया है, प्रदायकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य वह मूल्य होगा जो ऐसी वस्तु के प्रदाय के एवज में प्राप्त प्रतिफल और प्रदाय की तिथि को किए गए ऐसी वस्तु के मूल्यह्रास के बीच होने वाला अंतर होगा, और यदि यह लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा; और

(ii) किसी अन्य मामले में प्रदायकर्ता के लाभ को दर्शाने वाला मूल्य विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बीच के अंतर के बराबर होगा और यदि लाभ ऋणात्मक है तो इसे नजरअंदाज कर दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना ऐसे वस्तुओं के उन प्रदायकर्ताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 2 के खण्ड (63) में यथा परिभाषित इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट जैसा कि सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 में परिभाषित या मूल्य वर्धित कर या किसी अन्य कर का इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसका कि उन वस्तुओं पर भुगतान किया गया हो, का लाभ उठाया हो।

3. यह अधिसूचना 25 जनवरी, 2018 से लागू होगी।

आशिमा बराड़,
विशेष सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 25th January, 2018

No. 28/ST-2.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby exempts the State Tax on intra-state supplies of goods, the description of which is specified in column (3) of the Table below, falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975), as are given in corresponding entry in column (2), from so much tax as specified in Schedule IV of Haryana Government, Excise and Taxation Department, Notification No. 35/ST-2, dated the 30th June, 2017, as is in excess of the amount calculated at the rate specified in the corresponding entry in column (4), of the said Table, on the value that represent margin of the supplier, on supply of such goods.

Table

Serial Number	Chapter, Heading, Sub- heading or Tariff item	Description of Goods	Rate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	8703	Old and used, petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven motor vehicles of engine capacity of 1200 cc or more and of length of 4000 mm or more. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there-under.	9%
2.	8703	Old and used, diesel driven motor vehicles of engine capacity of 1500 cc or more and of length of 4000 mm. Explanation.- For the purposes of this entry, the specification of the motor vehicle shall be determined as per the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988) and the rules made there-under.	9%
3	8703	Old and used motor vehicles of engine capacity exceeding 1500 cc, popularly known as Sports Utility Vehicles (SUVs) including utility vehicles. Explanation.— For the purposes of this entry, SUV includes a motor vehicle of length exceeding 4000 mm and having ground clearance of 170 mm. and above.	9%
4.	87	All Old and used Vehicles other than those mentioned from serial number 1 to serial number 3.	6%

Explanation.— For the purposes of this notification,–

(i) in case of a registered person who has claimed depreciation under section 32 of the Income-Tax Act, 1961 (Central Act 43 of 1961) on the said goods, the value that represents the margin of the supplier shall be the difference between the consideration received for supply of such goods and the depreciated value of such goods on the date of supply, and where the margin of such supply is negative, it shall be ignored; and

(ii) in any other case, the value that represents the margin of supplier shall be, the difference between the selling price and the purchase price and where such margin is negative, it shall be ignored.

2. This notification shall not apply, if the supplier of such goods has availed input tax credit as defined in clause (63) of section 2 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), CENVAT as defined in CENVAT Credit Rules, 2004 or the input tax credit of Value Added Tax or any other taxes paid, on such goods.

3. This notification shall come into force with effect from the 25th January, 2018.

ASHIMA BRAR,
Special Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.